



आयुष्मान भारत डजिटल मशिन

प्रिलमिस के लयि:

आयुष्मान भारत डजिटल मशिन, सैंडबॉक्स, यूनफाइड पेमेंट्स इंटरफेस, डजिटल हेल्थ आईडी।

मेन्स के लयि:

सरकारी नीतयिँ और हस्तकषेप, केंद्रीय कषेत्तर की योजनाएँ, स्वास्थय, मानव संसाधन, आयुष्मान भारत डजिटल मशिन का महत्त्व।

चर्चा में क्यौं?

हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आयुष्मान भारत डजिटल मशिन (ABDM) के देशव्यापी कार्यान्वयन को मंजूरी दी है, जसिमें पाँच वर्ष के लयि 1,600 करोड़ रुपए का बजट आवंटन कयिा गया है।

- इस मशिन के तहत नागरकि अपना आयुष्मान भारत स्वास्थय खाता संख्या प्राप्त कर सकेंगे, जसिसे उनके डजिटल स्वास्थय रकिॉर्ड को जोड़ा जा सकेगा।
- आयुष्मान भारत देश की एक प्रमुख योजना है, जसिसे [सार्वभौमकि स्वास्थय कवरेज \(UHC\)](#) के दृष्टिकोण को प्राप्त करने हेतु [राष्ट्रीय स्वास्थय नीति 2017](#) की सफारशि के अनुसार शुरू कयिा गया था।

आयुष्मान भारत डजिटल मशिन

- इसे सतिंबर 2021 में प्रधानमंत्री द्वारा एक वीडयो कॉन्फरेंस के माध्यम से लॉन्च कयिा गया था।
- इसका उद्देश्य सभी भारतीय नागरकिों को अस्पतालों, बीमा फर्मों और नागरकिों को आवश्यकता पड़ने पर इलेक्ट्रॉनकि रूप से स्वास्थय रकिॉर्ड तक पहुँचने में मदद करने हेतु डजिटल स्वास्थय आईडी प्रदान करना है।
- मशिन के पायलट प्रोजेक्ट की घोषणा प्रधानमंत्री ने **15 अगस्त, 2020 को लाल कलिँ** की प्राचीर से की थी।
 - यह पायलट परयोजना **छह राज्यों और केंद्रशासति प्रदेशों में चरणबद्ध रूप में लागू** की जा रही है
- इसकी कार्यान्वयन एजेंसी **स्वास्थय और परिवार कल्याण मंत्रालय** के तहत स्थापति **राष्ट्रीय स्वास्थय प्राधकिरण (NHA)** होगी।

मशिन की वशिषताएँ

- स्वास्थय आईडी:**
 - यह **प्रत्येक नागरकि** को प्रदान कयिा जाएगा जो उनके **स्वास्थय खाते** के रूप में भी काम करेगा। इस स्वास्थय खाते में प्रत्येक परीकषण, प्रत्येक बीमारी, डॉक्टर से अपॉइंटमेंट, ली गई दवाओं और नदिान का वविरण होगा।
 - स्वास्थय आईडी **निःशुल्क व स्वैच्छकि** है। यह स्वास्थय डेटा का वशि्लेषण करने में मदद करेगी और स्वास्थय कार्यक्रमों के बेहतर नयिोजन, बजट तथा कार्यान्वयन सुनशिचति करेगा।
- स्वास्थय देखभाल सुवधिाएँ और पेशेवर रजसिद्री:**
 - कार्यक्रम के अन्य प्रमुख घटकों- **हेल्थकेयर प्रोफेशनल्स रजसिद्री (HPR)** और **हेल्थकेयर फँसलिटीज़ रजसिद्री (HFR)** को नरिमति कयिा गया है, जसिसे मेडिकल प्रोफेशनल्स तथा स्वास्थय अवसंरचना तक आसान इलेक्ट्रॉनकि पहुँच की अनुमति मिलती है।
 - HPR चकित्सिा की **आधुनकि और पारंपरकि दोनों प्रणालयिों में स्वास्थय सेवा प्रदान** करने वाले सभी स्वास्थय पेशेवरों का एक व्यापक डजिटल भंडार होगा।
 - एचएफआर डेटाबेस में देश की सभी स्वास्थय सुवधिाओं का रकिॉर्ड होगा।
- आयुष्मान भारत डजिटल मशिन सैंडबॉक्स:**
 - मशिन के एक हसिसे के रूप में नरिमति सैंडबॉक्स, प्रौद्योगिकी और उत्पाद परीकषण हेतु एक रूपरेखा के रूप में कार्य करेगा जो संगठनों की मदद करेगा। इसमें राष्ट्रीय डजिटल स्वास्थय पारसि्थतिकी तंत्र का हसिसिा बनने के इच्छुक प्राइवेट प्लेयरस शामिल होते हैं। स्वास्थय सूचना प्रदाता या स्वास्थय सूचना उपयोगकर्त्ता आयुष्मान भारत डजिटल मशिन के बलिडगि ब्लॉक्स के साथ कुशलतापूर्वक

जुड़ सकते हैं।

लाभ और संबंधित चिंताएँ:

■ संभावित लाभ:

- डॉक्टरों और अस्पतालों तथा स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं के लिये व्यवसाय करने में आसानी।
- उनकी सहमति से नागरिकों के **देशांतर्रीय स्वास्थ्य रिकॉर्ड (Longitudinal Health Records)** तक पहुँच और आदान-प्रदान को सक्षम बनाना।
- भुगतान प्रणाली में आए क्रांतिकारी बदलाव में यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) द्वारा निर्भाई गई भूमिका के समान डिजिटल स्वास्थ्य पारिस्थितिकी तंत्र में एकीकृत करने में सहायक होगी।
- मशिन गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य देखभाल के लिये "समान पहुँच" में सुधार करेगा क्योंकि यह टेलीमेडिसिन जैसी तकनीकों के उपयोग को प्रोत्साहित करेगा और स्वास्थ्य सेवाओं की राष्ट्रीय पोर्टेबिलिटी को सक्षम करेगा।

■ चिंताएँ:

- डेटा सुरक्षा बलि की कमी के कारण नज्दी फर्मों और बेड प्लेयर्स द्वारा डेटा का दुरुपयोग हो सकता है।
- नागरिकों का बहिष्करण और सॉफ्टवेयर में खराबी के कारण स्वास्थ्य सेवा से वंचित होना भी चिंता का विषय है।



आगे की राह:

- राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मशिन (NDHM) अभी भी स्वास्थ्य को न्यायसंगत अधिकार के रूप में मान्यता प्रदान नहीं करता है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति, 2015 के मसौदे में निर्धारित स्वास्थ्य को अधिकार बनाने हेतु एक ड्राफ्ट होना चाहिये।
- इसके अलावा यूनाइटेड किंगडम में एक समान राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवा (NHS) की वफ़िलता से सीखा जाना चाहिये और मशिन को अखिल भारतीय स्तर पर शुरू करने से पहले तकनीकी और कार्यान्वयन से संबंधित कमियों को सक्षम रूप से संबोधित किया जाना चाहिये।
- देश भर में NDHM के मानकीकरण हेतु राज्य-वशिष्ट नयियों को समायोजित करने के तरीके खोजने की आवश्यकता होगी। इसे सरकारी योजनाओं जैसे- आयुष्मान भारत योजना और अन्य आईटी-सक्षम योजनाओं जैसे प्रजनन बाल स्वास्थ्य देखभाल व नक्षय आदि के साथ तालमेल बटाने की आवश्यकता है।

स्रोत: द हट्टू

